निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 83/2023
दायरा दिनांकः–06.09.2023
निर्णय दिनांकः– 25.2.25

उनवान

1. मांगीलाल गुर्जर आयु 35 वर्ष पुत्र बाबूलाल उर्फ कालूराम उर्फ काल्या गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां (राज०)।
2. कमलीबाई आयु 75 वर्ष देवा बाबूलाल उर्फ कालूराम उर्फ काल्या गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां (राज०)।
3. कंचनबाई आयु 30 वर्ष पुत्री बाबूलाल उर्फ कालूराम उर्फ काल्या गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां (राज०)।

बनाम

1. गोपाल पुत्र रामचरण आयु 40 वर्ष जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबहा जिला बारां (राज०)।
2. रामदयाल पुत्र रामचरण आयु 30 वर्ष जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां (राज०)।
3. सत्यनारायण पुत्र रामचरण आयु 30 वर्ष जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां (राज०)।
4. काशीबाई बेवा रामचरण आयु 80 वर्ष जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां (राज०)।
5. सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज०)।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा,53,88,89,आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 25.2.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री दौलतराम मीणा– प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल हिंगलोट हल्का पाली खाता नं. 103 खसरा नं. 26 रकबा 0. 8852 खसरा नं. 3 रकबा 2.3902 कुल किता 2 कुल रकबा 3.2754 हैक्टेयर एवं इसी प्रकार से माल मोरेला हल्का सेमली में खाता नं० 90 खसरा नं. 120/3 रकबा 0. 3794, खसरा नं. 158 रकबा 0.0506 खसरा नं. 159 रकबा 0.0379 खसरा नं. 160 रकबा 0.2276 खसरा नं. 161 रकबा 0.0253 खसरा नं0 310 रकबा 1.0497 खसरा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नं० 89 रकबा 1.2267 कुल किता 7 कुल रकबा 2.9972 हैक्टेयर पैत्रिक कृषि आराजी स्थित है जो फौती नामान्तरण एवं बटवारा योग्य है। उक्त वर्णित आराजी वादीगण के पिता एवं पति मृतक काल्या उर्फ कालूराम उर्फ बाबूलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है, जिसमें वादीगण के पिता एवं पति का हिस्सा 1/2 दर्ज है, जिसको वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने के वैद्यानिक अधिकारी है. वादीगण के पिता दिनांक 12.07.2022 को हॉस्पिटल बारां में स्वर्गवास हो गया था जहाँ मृत्यु प्रमाण–पत्र बनाया गया जिसमें मृतक का नाम कालूराम अंकित है मृत्यु प्रमाण की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादीगण के पिता एवं पति मृतक काल्या उर्फ कालूराम उर्फ बाबूलाल के डबल नाम होने के कारण हलका पटवारी पाली एवं सेमली द्वारा कहा गया कि न्यायालय एस.डी.ओ. छबडा से आदेश कराकर लायेगे तभी ही फौती इंतकाल खोला जा सकता है. इसलिए न्यायालय में वाद पेश है। दोनो हल्को की आराजी शामलाती में दर्ज है, जो प्रतिवादी नं० 1 ता 4 के पिता मृतक रामचरण का नाम जमाबन्दी में दर्ज है. इसलिए मृतक रामचरण के वारिसों को बटवारा करवाने के लिए पार्टी बनाया जाना आवश्यक हो जाने से पार्टी बनाये गये है, एवं लैण्ड होल्टर सरकार होती है, सरकार के प्रतिनिधी तहसीलदार महोदय छबडा को पार्टी नं० 5 बनाया गया उक्त वाद के उद्देश्य के अनुसार नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। इसलिए नोटिस नहीं दिया गया। वादीगण के पिता एवं पति के सरकारी दस्तावेजात में अलग–अलग नाम अंकित होने के कारण धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत भी रिलिफ प्राप्त करने के वादीगण हकदार है, एवं प्रैत्रिक आराजी को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाने एवं वाद की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का वादीगण बटवारा करवाने के वैधानिक अधिकारी है खातेदार के डबल नाम होने से खातेदार के वारीस खातेदारी अधिकारी से वंछित नहीं किये जा सकते है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन वाद तामील तलब किया गया प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल मृत्यु प्रमाण पत्र कालूराम गुर्जर दिनांक 11.11.2022 नकल जमाबन्दी ग्राम मोरेला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 105 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम सेमला नकल जमाबन्दी ग्राम हिंगलोट सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 103 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम हिंगलोट प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत सेमली दिनांक 13.3.2023 प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत सेमली दिनांक 05.09.2024 पेश किया गया साक्ष्य वादी में PW1 मांगीलाल PW2 कमली बाई PW3 गोपाल PW4 मंजूसिंह PW5 विजेन्द्र के शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हिंगलोट एवं ग्राम मोरेला में स्थित है जो पैत्रक आराजी है विवादित आराजी मृतक काल्या उर्फ कालूराम उर्फ बाबूलाल के नाम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

है जिसमें मृतक का 1/2 हिस्सा दर्ज है वादी विवादित आराजी को अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है खातेदार काल्या उर्फ कालूराम उर्फ बाबूलाल का स्वर्गवास दिनांक 12.07.2022 को हो गया है खातेदार के डबल दो नाम होने से मृतक के वारिसान के नाम फोती नामान्तरण नही खोला गया। विवादित आराजी का विभाजन कराने के लिए सह खातेदारों को पक्षकार बनाया है वादी के पिता के सरकारी दस्तावेजों में अलग-अलग नाम होने के कारण वादी अपने पिता/मृतक खातेदार का नाम सही करवा कर अपने हिस्से की भूमि का बटवारा कराना चाहतें है वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पिता का नाम काल्या उर्फ कालूराम उर्फ बाबूलाल दर्ज किया जावें। तथा वादीगण के हिस्से की भूमि का पृथक-पृथक विभाजन कर अलग खाते दर्ज किया जावें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मोरेला सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 105 में कालूराम पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/8 दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम हिंगलोट सम्वत् 2074-77 खाता 103 में बाबूलाल पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/2 एवं रामचरण पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/2 दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम मोरेला सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 90 में काल्या पुत्र राधाकिशन हिस्सा 3/8 रामचरण पुत्र राधाकिशन हिस्सा 3/8 अमरी पत्नि स्व0 राधाकिशन हिस्सा 1/4 दर्ज है फोटो प्रति आधार कार्ड कालूराम गुर्जर मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 11.11.2022 के अनुसार कालूराम गुर्जर की मृत्यु दिनांक 12.07.2022 होना दर्ज है जनआधार कार्ड में कालूराम गुर्जर दर्ज है आधार कार्ड मांगीलाल में मांगीलाल पुत्र कालूराम दर्ज है पेशंनर वार्षिक सत्यापन स्लिप में कमली बाई पत्नि कालूराम गुर्जर दर्ज है मृतक खातेदार के सही नाम की जॉच तहसीलदार छबडा से करवाई गई तहसीलदार छबडा ने जॉच रिपोर्ट में बताया कि ग्राम मोरेला के ग्राम वासियों से जानकारी करने पर प्रार्थी मांगीलाल के पिता को काल्या व कालूराम दोनो ही नाम से जानतें है काल्या व कालूराम को बाबूलाल के नाम से कोई जानता है काल्या उर्फ कालूराम पुत्र राधाकिशन जाति गुर्जर के नाम से अन्य व्यक्ति निवास नही करता है प्रार्थी के पिता काल्या उर्फ कालूराम के दस्तावेजों की जॉच करने पर सभी दस्तावेजों की जॉच करने पर प्रार्थी के पिता का नाम कालूराम पुत्र राधाकिशन दर्ज है किसी दस्तावेज में प्रार्थी के पिता का नाम बाबूलाल नही है ग्राम मोरेला के राजस्व रिकार्ड की जॉच करने पर पाया गया कि नामान्तरण नम्बर 110 दिनांक 04.05.1981 से राधाकिशन के फोती नामान्तरण से काल्या पुत्र राधाकिशन व कालूराम पुत्र राधाकिशन के नाम से खातेदार दर्ज है वादी अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में बाबूलाल उर्फ काल्या उर्फ कालूराम करवाना चाहता है परन्तु ग्राम मोरेला में जानकारी करने पर प्रार्थी के पिता को बाबूलाल के नाम से कोई नही जानता है। लेकिन PW3 गवाह गोपाल पुत्र रामचरण PW4 मंजूसिंह पुत्र जगदीश द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि कालूराम उर्फ काल्या उर्फ बाबूलाल एक ही व्यक्ति हैं। ग्राम पंचायत सेमली के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी काल्या उर्फ कालूराम उफ बाबूलाल पुत्र राधाकिशन एक ही व्यक्ति होना बताया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड, साक्ष्य/सबूतो के आधार पर यह साबित है कि काल्या, कालूराम एवं बाबूलाल एक ही व्यक्ति है। जो वादी क्रम 1 व 3 के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पिता एवं वादी क्रम 2 के पति हैं। अतः खाता संख्या 90 एवं 103 में वादी गण का नामान्तरण खोला जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम मोरेला तहसील छबडा के खाता संख्या 90 के खसरा नम्बर 120/13 रकबा 0.3794 है0 खसरा नम्बर 158 रकबा 0.0506 है0 खसरा नम्बर 159 रकबा 0.0379 है0 खसरा नम्बर 160 रकबा 0.2276 है0 खसरा नम्बर 161 रकबा 0.0253 है0 खसरा नम्बर 310 रकबा 1.0497 है0 खसरा नम्बर 89 रकबा 1.2267 है0 एवं ग्राम हिंगलोट के खाता संख्या 103 के खसरा नं. 26 रकबा 0.8852 हैक्टयर, खसरा नं. 3 रकबा 2.3902 हैक्टयर भूमि में वादीगण के नाम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

C:\Users\Lenovo\Desktop\firoj all letter folder\Rambabu ji fesla file Dava.docx

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 83/2023	धारा 53, 88, 89 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः–25.02.2025

समक्षः **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री दौलतराम मीणा–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः–

वाद शीर्षक

उनवान

1. मांगीलाल गुर्जर आयु 35 वर्ष पुत्र बाबूलाल उर्फ कालूराम उर्फ काल्या गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां (राज०)।
2. कमलीबाई आयु 75 वर्ष देवा बाबूलाल उर्फ कालूराम उर्फ काल्या गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां (राज०)।
3. कंचनबाई आयु 30 वर्ष पुत्री बाबूलाल उर्फ कालूराम उर्फ काल्या गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां (राज०)।

बनाम

1. गोपाल पुत्र रामचरण आयु 40 वर्ष जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबहा
2. रामदयाल पुत्र रामचरण आयु 30 वर्ष जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा
3. सत्यनारायण पुत्र रामचरण आयु 30 वर्ष जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा
4. काशीबाई बेवा रामचरण आयु 80 वर्ष जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा
5. सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज०)।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम मोरेला तहसील छबडा के खाता संख्या 90 के खसरा नम्बर 120/13 रकबा 0.3794 है0 खसरा नम्बर 158 रकबा 0.0506 है0 खसरा नम्बर 159 रकबा 0.0379 है0 खसरा नम्बर 160 रकबा 0.2276 है0 खसरा नम्बर 161 रकबा 0.0253 है0 खसरा नम्बर 310 रकबा 1.0497 है0 खसरा नम्बर 89 रकबा 1.2267 है0 एवं ग्राम हिंगलोट के खाता संख्या 103 के खसरा नं. 26 रकबा 0.8852 हैक्टयर, खसरा नं. 3 रकबा 2.3902 हैक्टयर भूमि में वादीगण के नाम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त करन के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक **25.02.2025** को निर्गत किया गया।

छबड़ा, जिला बारां (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
छबडा जिला–बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		